रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 259] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 1991/कार्तिक 23, 1913
No. 259] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 1991/KARTIKA 23, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14-11-19

फा.सं. 7 (5)/89-सी.टी.एम :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कपास नियंत्रण आदेश, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कपास नियंत्रण (संशोधन) आदेश 1991 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. कपास नियंत्रण आदेश 1986 में विद्यमान खंड 5 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

5. कपास की गांठों के लिए विनिर्देश : —कपास ओटन कारखाने या कपास दाब कारखाने या कपास ओटन तथा दाब कारखानों का प्रत्येक स्वामी या पटटेदार कपास को,—

(क) केवल निर्यात के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कपास की गांठों के लिये अधिकथित भारतीय मानक विनिर्देश संख्यांक आइ.एस. 12171 के अनुसार पैक करेगा :

(ख) देशीय उपभोग के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विनिर्देशों का अनुपालन करने के पश्चात पैक करेगा :—
कूड़ा करकट अंतर्वस्तु : —कूड़ा करकट अंतर्वस्तु निम्नलिखित सीमाओं से अधिक नहीं होगी :—

		कूड़ा करकट अंतर्वस्तु	सह्यता
1.	अत्यधिक लंबा रेशा	4 प्रतिशत	0.5 प्रतिशत
2.	लम्बा और उत्कृष्ठ मध्य रेशा	6 प्रतिशत	1 प्रतिशत
3.	मध्यम और छोटा रेशा, जिसमें बंगाल देशी, असम कोमिल्ला, जे-34 आर जी है	7 प्रतिशत	1 प्रतिशत
4.	वी-797 कालाजिन और सी-जे-73	10 प्रतिशत	1.5 प्रतिशत

आर्द्रता अंतर्वस्तु :—दबाई गई गांठों में आर्द्रता अंतर्वस्तु 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

गांठों का आकार : —पटिटत गांठों (पूर्णत दबाई हुई) का वर्तमान आकार बना रहेगा। सभी गांठें (शीर्ष और अधोभाग सहित) पूर्णतः हैसियन से ढकी जाएंगी। शीर्षभागों और अधोभागों की सिलाई की जाएगी ताकि वे परिवहन के पश्चात भी वैसी ही बनी रहें : भार (वजन) : दबाने के समय एक गांठ का भार (वजन) जुलाई से फरवरी तक 170.5 किलोग्राम होगा और मार्च से जून तक यह 170.7 किलोग्राम होगा।

सिलाई :—हैसियन तीन प्लाई वाली पटसन की डोरी से सिला जाएगा और टांकों के बीच की दूरी 3 सें.मी. से अधिक नहीं होगी। या शीर्षभाग और अधोभाग पर हैसियम मोड़ा जाएगा और दबाने के समय लोहे की पत्ती लगा दी जाएगी।

हैसियन : —50"/11 औंस या 270 ग्राम/मी.2

लोहे की पत्ती : —18/19 गैंज 12.5 मि.मी.-चौड़ाई।

(1) जहां दाब (मशीन) में 12 गैलाज हो, वहां 720 सें.मी. : लम्बे तीन टुकड़े, या

(2) जहां दाब (मशीन) में 10 गैलाश हो, वहां 720 सें.मी. : लम्बे दो टुकड़े और 390 सें.मी. लम्बा एक टुकड़ा,

परन्तु लोहे की पत्तियों से संबंधित अपेक्षा 9 गैलाज वाले ऐसे दाब की दशा में जो कपास नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1991 के प्रारम्भ होने पर काम कर रहा है, ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात लागू होगा।

चिन्हांकन : —गांठ एक और धोने योग्य, न फैलने वाली काली स्याही का प्रयोग करके निम्नलिखित जानकारी के साथ चिन्हांकित की जाएगी :—

(1) कपास की किस्म का नाम :

(2) मौसम, स्थान और देश सहित बाब का कोड में बाब चिन्ह ;

(3) बाब चालन संख्यांक और लॉट संख्या,

(4) बनाई गई गांठ का भार (वजन)

मनोज प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल आदेश की संख्या 80 (फा.सं. 8/37/85-टी.पी.सी.) दिनांक 11 अप्रैल, 1986 के द्वारा अधिसूचित किया गया था और संख्या 298 (फा.सं. 8/37/85-टी.पी.सी.) दिनांक 31-12-87 संख्या 31 (फा.सं. 8/37/85-टी.पी.सी.) दिनांक 15/2/89 और सं. 233 (फा.सं. 8/37/85 टी.पी.सी.) दिनांक 19/12/89 के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 1991

F. No. 7|5|89-CTM.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government ces the following Order further to amend the Cotton Control Order, ely :—

This order may be called the Cotton Control (Amendment) Order, 1991.

It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Cotton Control Order, 1986, for the existing Clause 5, the following clause shall be substituted, namely :—

"5. SPECIFICATIONS FOR COTTON BALES

Every owner or lessee of a cotton ginning factory or cotton pressing factory or cotton ginning and pressing factory shall pack cotton,—

(a) for the purposes of export only as per the Indian Standard specification number IS : 12171 for cotton bales laid down by the Bureau of Indian Standards ;

(b) for the purposes of domestic consumption after observing the following specifications :—

Trash content :

Trash content not to exceed the following limits :—

	Trash content	Tolerance
1. Extra Long Staple	4%	0.5%
2. Long and Superior Medium Staple	6%	1%
3. Medium and short staple including Bengal Deshi, Assam Commilla, J-34 RG.	7%	1%
4. V-797, Kalagin and C-J-73	10%	1.5%

Moisture Content :

The moisture content in the pressed bales shall not exceed 9%.

Dimension of bales :

The present dimension of the banded bales (full pressed) may continue. All bales shall be covered fully (including tops and bottoms) with Hessian. Stitching of tops and bottoms shall be done so that they remain intact even after transportation.

Mass (Weight) :

The mass (weight)of a bale at the time of pressing from July to February shall be 370±5 Kg. and from March to June it shall be 170±7Kg.

Stitching :

Hessian to be stitched with 3 ply jute twine and the distance between the two stitches shall not exceed 3 cm. Or Hessain on tops and bottoms to be folded and inserted into iron hoops at the time of pressing.

Hessian :

50″|11 oz or 270 grms|m².

Iron Hoops :

18|19 Gauge, 12.5 mm width.

(1) 3 pieces of 720 cm length where press has 12 galas ; or

(2) 2 pieces of 720 cm length and 1 piece of 390 cm length where press has 10 galas :

Provided that the requirement relating to iron hoops, shall, in the case of presses with 9 galas working on the commencement of the Cotton Control (Amendment) Order, 1991, apply immediately after the expiry of a period of one year of such commencement.

Marking :

The bale shall be marked on one side with the following information using washable, non-percolating black ink :—

(1) Name of the cotton variety ;

(2) Press mark of the Press in code including season, place and country ;

(3) Press running number and lot number ;

(4) Mass (Weight) of the pressed bale."

AJAY PRASAD, Jt. Secy.

Note : The principal order was notified vide No. 80 (F. No. 8|37|85-TPC) dated 11th April, 1986 and amended vide No. 268 (F. No. 8|37|85-TPC) dated 31-12-87, No. 31 (F. No. 8|37|85-TPC) dated 15-2-89 and No. 233 (F. No. 8|37|85-TPC) dated 19-12-89.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991